



NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh

Gen. Secretary
&
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony

Sulem Sarai, Prayagraj - 211011

P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No : 193/NCRES/71/75/76/25

Date : 24.9.2025

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

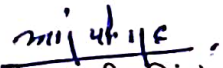
विषय:- नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में ट्रैकमशीनो पर 21/7 का रोस्टर पुनः लागू किया जाना।
सन्दर्भ:- (1) NCRES PNM मद संख्या 7/2016
(2) Dy/CE/TMC/Line/JHS का पत्र संख्या JHS/W/TT/Misc. Tech दिनांक 29.8.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि NCRES के पी.एन.एम. मद सं0 7/2016 पर वृहद चर्चा के उपरान्त नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कार्यरत सभी ट्रैक मशीनो पर 21/7 का रोस्टर लागू किया गया था परन्तु खेद का विषय है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) के द्वारा Dy/CE/TMC/Line/JHS ने 21/7 के रोस्टर को बिना NCRES से चर्चा किये समाप्त कर दिया।

NCRES का मानना है कि इमरजेन्सी में आवश्यकता पड़ने पर अन्य मशीनो पर कार्यरत कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है लेकिन ऐसा न करके एक घटना का हवाला देकर 21/7 के रोस्टर को समाप्त कर देने से अपने परिवार से महीनो दूर रह कर ट्रैकमशीनो पर कार्य कर रहे मेहनतकश कर्मचारियों का मनोबल गिरा है, इसी कारण प्रयागराज मण्डल, झांसी मण्डल और आगरा मण्डल में विभिन्न जगहो पर कार्यरत ट्रैक मशीनो के कर्मचारियों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि NCRES के PNM मद सं0 7/2016 पर हुये निर्णय के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में ट्रैक मशीनो पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये पूर्व के समान 21 दिन ड्यूटी एवं 7 दिन रेस्ट का रोस्टर लागू करने और की गई कार्यवाही से NCRES को अवगत कराने के लिये उचित आदेश करने की कृपा करें।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि (1) प्रधान मुख्य इंजीनियर, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज
(2) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज